

Emailed
06-12-17

153

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-6421/

1355

दिनांक: 19-7-16

सेवा में

वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल,
गुड़गांव ।

विषय: Diversion of 0.13 ha. of forest land in favour of Resident Engineer, ADB Project Division No. 1, PWD B&R Br., Faridabad for reconstruction of minor bridge over Gurgaon Canal at RD 60.400 of Rewari-Sohna-Palwal road (NH 71 B), under forest division and District Gurgaon, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Road/11206/2015

संदर्भ: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वन विभाग का यादी क्रमांक 162-व-5-2016/3280 दिनांक 29-2-2016 ।


उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है जिसमें इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना हो चुकी है ।

2. प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतु 0.13 है० वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है ।

- (i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
- (ii) प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष/पौधे काटे जाएंगे एवं काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 70 से अधिक नहीं होगी । इसके अतिरिक्त 270 पौधे भी नष्ट होंगे ।
- (iii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Gurgaon Canal RD 84 to 89 L/side में प्रयोक्ता एजेंन्सी से प्राप्त 832370/- रुपये (आठ लाख बत्तीस हजार तीन सौ सत्तर रुपये) की राशि से 700 पौधे लगा कर किया जाएगा ।
- (iv) प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।
- (v) वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।
- (vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन०पी०वी० की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन०पी०वी० की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजेंन्सी बाध्य होगी ।
- (vii) एवेन्यु वृक्षारोपण सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आई०आर०सी० की दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा किया जाएगा ।
- (viii) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जाएंगे ।
- (ix) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा ।
- (x) राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।
- (xi) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा ।

- (xii) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी ।
- (xiii) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके ।
- (xiv) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी ।
- (xv) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजैन्सी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी ।
- (xvi) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें प्रयोक्ता एजैन्सी के खर्च पर 4 फीट ऊँचे सीमेन्ट के खम्भों द्वारा चिन्हित की जाएंगी । प्रत्येक खम्भे पर कम संख्या, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक तथा एक खम्भे से दूसरे खम्भे की दूरी आगे तथा पीछे लिखी जाएगी ।
- (xvii) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।
- (xviii) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय-समय पर लगाई जा सकती है ।
- (xix) प्रयोक्ता एजैन्सी उपरोक्त शर्तों की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा को नियमित रूप से भेजेगी ।
- (xx) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजैन्सी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

3. राज्य सरकार इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकती है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है ।


 नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0),
 कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
 पंचकुला ।

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, बेज नं0 24-25, सैक्टर-31-ए, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, गुडगांव ।
3. Resident Engineer, ADB Project Division No. 1, PWD B&R Br., Faridabad.